तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
23/5/22	पत्रावली अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. में पेश हुई। वर्तमान में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्राप्त किया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार की डिक्री होने से वाद प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली लेखक श्रमार लेकर दायिक दफ्तर हो।	

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner